राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 364 / 2013

सुशिला केशवानी

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2013
आदेश की दिनांक : 04.07.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थीया की ओर से श्री एम.एम. महर्षि उपस्थित तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. इस अपील में अपीलार्थीया ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थीया की नियुक्ति दिनांक 03.10.1969 को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थीया वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियमित पंक्ति में पदोन्नति दिनांक 17.04.1997 को हुई। जिला शिक्षाधिकारी छात्रा संस्थायें बीकानेर के आदेश कमांक जिशिअ / छात्रा / बीका / संस्था–3 / 96 / 443–44 / दिनांक 19.03.1997 के अनुसार अपीलार्थीया को निम्नानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये:–

प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान वेतनमान	9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि	चयनित वेतनमान	चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने की दिनांक
03.10.1969	1400–2600	9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दि. 02.10.78	1400–2600	25.01.1992
03.10.1969	1400–2600	18 वर्ष की सेवा पूर्ण दि. 02.07.87	2000–3200	25.01.1992
03.10.1969	2000–3200	27 वर्ष की सेवा पूर्ण दि. 03.10.96	2000–3500	03.10.1996

3. पदौन्नति परित्याग के फलस्वरूप अपीलार्थिनी के विरूद्ध 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान वापिस लेने का आदेश पारित कर रू. 4031/— (अक्षरे रूपये चार हजार इक्तीस मात्र) वसूली कर ली गयी जिसे न तो नियम संगत ही कहा जा सकता है और ना ही उचित कहा जा सकता है। जिला शिक्षाधिकारी (छात्रा संस्थाये) बीकानेर के आदेश क्रमांक जिशिअ/छात्रा/संस्था/68/96—97/435—49/दिनांक 17.04.1997 विभागीय चयन समिति द्वितीय वेतन श्रृंखला में चयनित होने के उपरांत अपीलार्थिनी का पदस्थापन राजकीय बालिका सी. माध्यमिक विद्यालय गुरूद्वारा, रानी बाजार, बीकानेर से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय हिम्मतसर तहसील नोखा जिला बीकानेर में किया गया। पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि 02.05.1997 थी। पारिवारिक परिस्थितिवश अपीलार्थिनी पदस्थापित विद्यालय राजकीय बालिका माध्य. विद्यालय हिम्मतसर तहसील नोखा जिला बीकानेर दिनांक 02.05.1997 तक कार्यग्रहण न कर सभी ऐसी स्थिति में पदौन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र संस्था प्रधान की मार्फत नियुक्त अधिकारी को प्रेषित कर दिया। पदौन्नति परित्याग के फलस्वरूप अपीलार्थिनी के विरूद्ध 27 वर्षीय चयनित वेतनमान वापिस लेने के आदेश पारित कर रू.4031/— (अक्षरे रूपये चार हजार इक्तीस मात्र) प्रदर्श—ए/3 वसूली कर ली गयी। अपीलार्थिनी के विरूद्ध पारित वसूली आदेश को कसी भी दृष्टि से उचित नही कहा जा सकता है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.10.1993 के अनुसार तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत करने बाद यदि किसी कर्मचारी की पदौन्नति की जाती है और यदि पदौन्नति का परित्याग कर दिया जावे तो वह निरन्तर चयनित वेतनमान में वेतन प्राप्त करता रहेगा। दिनांक 15.05.2000 से 31.03.2008 तक की अपीलार्थिनी के विरूद्ध आर.एस.आर. के नियमन 26(ए) के अन्तर्गत दिये गये लाभ को अधिक भुगतान बता कर सेवानिवृति के बाद रू. 29869/— (अक्षरे रूपये उन्तीस हजार आठ सौ उन्हतर मात्र) चालान द्वारा यह कह कर जमा करवा लिए कि पेंशन एवं पेंशन परिलाभ की राशि का भुगतान तभी होगा जब उपयुक्त वसूली राशि जमा करवा दी जायेगी। अपीलार्थी मजबूरी एवं दबाव के कारण उक्त राशि चालान द्वारा जमा करवानी पड़ी। अपीलार्थिनी ने सेवानिवृति के पूर्व तथा बाद में शिक्षा विभाग के संबंधित सक्षम अधिकारियों से अनेको बार

प्रार्थना की कि अपीलार्थिनी से अनियमित तौर से 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान वापिस ले लिया गया है तथा निकाली गयी वसूली भी नियमनसंगत नहीं है।

4. अपीलार्थीया ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थीया के विरूद्ध वसुली किये जाने के आदेश दिनांक 16.03.1998 (अनुलग्नक–ए/3) अपास्त किया जाये। अपीलार्थीया को उससे वसुल की गई राशि लौटाये जाने के निर्देश दिये जाये। अपीलार्थीया को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.05.1997 से पुनः स्वीकृत कर वसुली गई राशि वापस की जाए एवं यह भी प्रार्थना की है कि आर.एस.आर. के नियम–26 के नाम पर वसुल की गई राशि दिनांक 29.08.1969 से अपीलार्थीया को वापस लौटाई जाये।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि विवादित आदेश 1998 का है एवं अपीलार्थीया ने वर्ष 2013 में अपनी अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील मियाद में नहीं है। यह भी अंकित किया है कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.1993 एव समसंख्यक आदेश दिनांक 25.01.1992 द्वारा चयनित वेतनमान के आदेश जारी किये गये थे जो समय समय पर संशोधित किये गये इन आदेशों के तहत यह प्रावधान था कि एक राज्य कर्मचारी अगर पदौन्नति का परित्याग कर देता है तो उसके द्वितीय एंव तृतीय वेतनमान स्वीकृत नहीं जावेगा। अगर स्वीकृति होने के उपरान्त पदोन्नति प्रदान की जाती है, और वह कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग कर देता है, तो भी वह चयनित वेतनमान प्राप्त करता रहेगा। उक्त आदेश से कई कमचारियों में पदौन्नति को परित्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ी इस कारण नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष कई कठिनाई उत्पन्न होने से इसे निजात पाने हेतु उक्त आदेशों में संशोधन कर आदेश दिनांक 04.12.1996 को पारित कर पदौन्नति परित्याग करने पर चयनित वेतनमान का लाभ वापस लिये जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा भी पदोन्नति का परित्याग किया गया इसलिये चयनित वेतनमान वापस लिया गया है, और अधिक ली गयी राशि की वसूली की गयी है।

6. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। जो तथ्य पत्रावली में प्रस्तुत किये गए हैं, उससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 03.10.1996 से दिया गया। इसके पश्चात अपीलार्थीया की पदोन्नति दिनांक 17.04.1997 को हुई थी।

अपीलार्थीया को पदोन्नति उपरांत कार्यग्रहण दिनांक 02.05.1997 तक करना था, परंतु अपीलार्थीया ने कार्यग्रहण नहीं किया और पदोन्नति का परित्याग कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 04.12.1996 को यह आदेश जारी किया, जिसमें निम्न प्रकार से प्रावधान हैः—

1. इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 25.1.1992 द्वारा चयनित वेतनमान के आदेश जारी किये गये जो समय समय पर संशोधित किये गये। इन आदेशों के तहत यह प्रावधान था कि अगर एक राज्य कर्मचारी पदोन्नति को त्यागता है तो उसे द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परन्तु अगर एक राज्य कर्मचारी को द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत होने के पश्चात् पदोन्नति दी जाती है तथा वह पदोन्नति को त्याग देता है तो स्वीकृत चयनित वेतनमान का वेतन आहरित करता रहेगा। इसके परिणामस्वरुप कई कर्मचारियों में पदोन्नति को परित्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसके कारण नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष यह कठिनाईयां उत्पन्न हुई कि पदोन्नत पदों को योग्य तथा निपुण कर्मचारियों से किस प्रकार भरा जाये। इस कारण सरकारी कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

2. इस समस्या पर विचारोपरान्त उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया और राज्यपाल प्रसन्नता से आदेश करते है कि राज्य कर्मचारी जो द्वितीयध्तृतीय चयनित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे है और अगर पदोन्नति (द्वितीय/तृतीय) पद जैसी भी स्थिति हो पर वास्तविक पदोन्नति होती है और कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करता है तो कर्मचारी के पदोन्नति के परित्याग की तिथि से द्वितीय या तृतीय चयनित वेतनमान (जैसा भी मामला हो) वापस ले लिया जायेगा और ऐसे कर्मचारी के वेतन का पुनः निर्धारण या तो प्रथम पदोन्नति पद या प्रथम चयनित वेतनमान या द्वितीय चयनित वेतनमान में वेतन इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि अगर उसे द्वितीय, तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं होता तो क्या वेतन होता ।

3. राज्य कर्मचारी जो द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान को इस आदेश के जारी होने के पूर्व परित्याग कर चुके है और वे द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं तो द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान (जैसा भी मामला हो) का परिलाभ पुनः नहीं लिया जायेगा। परन्तु अगर ऐसे प्रकरण में दुबारा पदोन्नति इस आदेश के जारी होने के पश्चात होती है. तो कर्मचारी के उक्त पदोन्नति के परित्याष्ठा की तिथि से द्वितीय/तृतीय पदोन्नति (जैसी भी मामला हो) का लाभ वापस ले लिया जायेगा। तथा कर्मचारी को वेतन का पुनः निर्धारण प्रथम पदोन्नति की वेतन श्रृंखला में या प्रथम चयनित वेतनमान में या द्वितीय पदोन्नति पद के वेतनमान में इस प्रकार किया जायेगा कि अगर उसे द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान (जैसा भी मामला हो) स्वीकृत नहीं किया जाता तो क्या वेतन मिलता।

7. इस प्रकार उपरोक्त आदेश में बताया गया है कि जहां पदोन्नति के अवसर का त्याग कर दिया गया हो द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ

पदोन्नति की प्रक्रिया की तिथि से वापस ले लिया जायेगा। उक्त आदेश दिनांक 04.12.1996 जारी होने के पश्चात अपीलार्थीया ने एक पदोन्नति का परित्याग किया है। ऐसे में उक्त आदेश अपीलार्थीया पर लागू होता है। उक्त आदेश के अनुसार द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत होने के पश्चात पदोन्नति होने पर पदोन्नति का परित्याग कार्मिक द्वारा किया जाये तो पदोन्नति की परित्याग की तिथि द्वितीय/तृतीय पदोन्नति का लाभ वापस ले लिया जायेगा। ऐसे में उक्त आदेश के अनुसार अपीलार्थीया द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर परित्याग की तिथि से उसके चयनित वेतनमान का लाभ वापस लिये का आदेश अनुचित नहीं माना जा सकता है।

8. अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थीया से उक्त आदेश के अनुसरण में जो वसुली की गई है, वह अनुचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)